



फोन-2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
website-www.sudaup.org

पत्रांक- 2228/241/NULM/तीन/2014 Vol-II

दिनांक- 27/8/15

सेवा में,

1. समरत जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त,
नगर, निगम, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0/
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, एन0यू0एल0एम0 शहर।

विषय—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी गरीब की आय सीमा के निर्धारण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक-790/2015/1786/69-1-2015-14(165)/2015, दिनांक 24.08.2015 जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की सचालित योजनाओं में शहरी गरीब परिवार को गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के रूप में मानते हुए राज्य योजना आयोग, उ0प्र0 द्वारा ₹0 25546.00 प्रति परिवार वार्षिक आय वालों को ही लाभान्वित किया जा रहा है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1509/241/एन०यू०एल०एम०/तीन/2001-वाल्यूम-11, दिनांक 14.07.2015 के द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर 1.3 में अर्बन पावर्टी के सबधं में जो मानक निर्धारित किये गये हैं, उसके अनुसार शहरी गरीब परिवार के आवासीय, सामाजिक तथा व्यवसायिक संरचना के आधार पर आय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए एवं शासन को प्रस्तावित कर अनुरोध किया गया है कि शहरी गरीबों के हित में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटकों के अंतर्गत ₹0 1.00 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक के आय सीमा वाले परिवारों को शहरी गरीबों की परिभाषा में आच्छादित किया जाये।

उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आच्छादित शहरी गरीबों को अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने के हेतु शहरी गरीब परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय सीमा रु0 1.00 लाख निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटकों हेतु शासन द्वारा गरीब परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय सीमा रु0 1.00 लाख निर्धारित किये जाने का अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए उक्त शासनादेश के निर्णय से समस्त चयनित संस्थाओं को भी अवगत कराते हुए शासनादेश की प्रति भी संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलग्नक—यथोक्त ।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. श्री योगेश आदित्य, ए0पी0ओ0 / सहायक वेब मास्टर सूडा को विभाग की वेबसाइट पर आपलोड किये जाने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पंचवान्

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उपराज्य प्राप्ति

रोका गै

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
३००० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्घूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- राष्ट्रीय शहरी आजीविका जिलेन के अन्तर्गत शहरी गरीब की आय सीमा के विश्वासन के राहदार्थ में।

संख्या: दिनांक: 26 अगस्त 2015

साहौदर्य,

उपर्युक्त विधायक राज्य नगरीय विकास अभियान, लखनऊ के पत्र संख्या-1509/241/एनआरएलएम०/तीन/2001-वाल्यूग-।। दिनांक 14.07.2015 का कृपया संदर्भ गहण करें।

२. उक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वत्तगांव में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की संचालित योजनाओं में शहरी गरीब परिवार को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के रूप में मानते हुए राज्य योजना आयोग, ३०प्र० द्वारा ₹० 25546.०० प्रति परिवार वार्षिक आय वालों को ही लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर-१.३ में अरबन पावर्टी के सम्बन्ध में जो मानक निर्धारित किये गये हैं, उसके अनुसार शहरी गरीब परिवार के आवासीय, सामाजिक तथा व्यवसायिक संरचना के आधार पर आय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (₹०एस०टी० एण्ड पी०) में शहरी गरीब परिवारों को ही प्रशिक्षण हेतु आच्छादित किया गया है। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि शहरी गरीबों के हित में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटकों के अन्तर्गत ₹० 1.०० लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक के आय सीमा वाले परिवारों को शहरी गरीब की परिभाषा में आच्छादित किया जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सम्बन्धिक विचारोपरान्त राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत आच्छादित शहरी गरीबों को अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने के दृष्टिगत शहरी गरीब परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय सीमा रु० 1.00 लाख निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अगतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अवधीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

सचिव ।


(क्रमांक: पृष्ठ-2)

संख्या:- ८३०/२०१५ / १७८६(१)/६९-१ २०१५। तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महालेखाकार, ३०प्र०, २०, सरोजनी नायडू गार्ड, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन।
३. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
४. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
५. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
६. सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
७. समस्त गण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, कुत्तर प्रदेश।
८. निदेशक, म्यानीय निकाय, ३०प्र०।
९. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, ३०प्र०।
१०. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, ३०प्र०।
११. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफीसर/परियोजना निदेशक, दूड़ा, ३०प्र०।
१२. समस्त परियोजना निदेशक, दूड़ा, ३०प्र०।
१३. सहायक वेबगास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर आपलोड करने हेतु।
१४. बजट समन्वयक/गार्ड फाइल।

आजा से,



(एच०पी० सिंह)

प्रशेष सचिव।